ग्रीन बिजनौर

शहर को हरा-भरा बनाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और पौधे भी लगा रहे हैं।

बिजनौर की नई बस्ती में पौधरोपण करती ईशान्वी तोमर।

धामपुर में पौधरोपण करतीं संचिता शर्मा।

नजीबाबाद में पौधरोपण करते अयात अयान और डॉ. रूही।

धामपुर में दादी सरोज बाला के साथ पौधा लगाती मोनिका।

धामपुर के गांव मोहम्मदपुर सादा में पौधा रोपित करतीं रामरती देवी, शशि देवी। स्रोत : खुद

पौधा लगाएं...

...फोटो हमें भेजें

प्रकृति हमारी अमूल्य धरोहर है। इसका संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आइए हम सब मिलकर अपने शहर को हरा-भरा बनाने का संकल्प लें। पौधरोपण करते हुए आप अपना फोटो इस नंबर **9368724184** पर व्हाट्सएप करें। साथ में अपना नाम और पता भी लिखें। हम चुनिंदा तस्वीरों को प्रकाशित करेंगे।

अहिल्या के उद्धार का प्रसंग सुनाया

गांव झाल-उलेढ़ा में चल रही श्रीराम कथा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

गांव झाल-उलेढ़ा के माता मंदिर में श्री राम कथा सुनते श्रद्धालु। संवाद

नहटौर के गांव टपरौना में श्रीराम कथा सुनते श्रद्धालु। स्रोत : ग्रामीण

संवाद न्यूज एजेंसी

हीमपुर दीपा/छाछरी मोड़। ग्राम झाल उलेढ़ा में चल रही श्रीराम कथा के तीसरे दिन आचार्य कुलदीप महाराज ने कहा कि वास्तव में माता अहिल्या पत्थर की नहीं हुई थी बल्कि वह पत्थर सी हो गई थी जिनका उद्धार भगवान श्री राम ने उनके आश्रम पहुंचकर किया।

मंगलवार को प्रसिद्ध सिद्ध पीठ माता मंदिर में आचार्य कुलदीप महाराज ने वैदिक यज्ञ को रखा एवं श्रीराम-जानकी विवाह प्रसंग सुनाया। उन्होंने माता अहिल्या के उद्धार का वर्णन करते हुए कहा कि वास्तव में माता अहिल्या पत्थर की नहीं थी बल्कि पत्थर जैसी प्रतीत होती थी।

जब श्री राम, माता अहिल्या/गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें वहां आध्यात्मिक वातावरण की अनुभूति हुई। तब उन्होंने मौजूद गुरु विश्वामित्र से जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे यह आश्रम साधना का कोई बड़ा केंद्र रहा हो। तब विश्वामित्र मुनि ने श्री राम को माता अहिल्या का सारा वृतांत सुनाया।

श्रीराम-जानकी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए आचार्य ने कहा कि माता जानकी की विदाई के समय मां सुनयना और विदेह राजा जनक ने जो अनमोल उपदेश दिए उन्हें माता-बहनों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए।

आचार्य कुलदीप ने श्रीराम-जानकी की तरह वैदिक रीति से विवाह करने जोर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आर्य समाज के विद्वान कुलदीप विद्यार्थी, ओंकार सिंह, साधुराम, बृजपाल, मनोज, वचन सिंह आदि का सहयोग रहा।

केवट संवाद सुन श्रद्धालुओं की आंखें हुईं नम

नहटौर। ग्राम टपरौना में चल रही नौ दिवसीय श्रीराम कथा के सातवें दिन कथा पंडाल भक्ति रस से सराबोर रहा। कथा व्यास पंडित राम रसिक महाराज ने भगवान श्रीराम के वन गमन, केवट संवाद और महर्षि वाल्मीकि आश्रम के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। केवट संवाद का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि जब केवट ने प्रभु श्रीराम के चरण धोकर उन्हें नाव में बैठाया तो वह भक्त और भगवान के अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग और निष्कपट भाव आवश्यक है। कथा के मुख्य यजमान सचिन चौहान और उनकी पत्नी मनोरमा चौहान ने परिवार सहित व्यासपीठ एवं रामायण ग्रंथ का पूजन किया। इसके बाद हुई महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और विश्व कल्याण की कामना की। इस दौरान रूपेश चौहान, हिमांशु चौहान, मदनपाल, नितिन प्रजापति, राजन, आशा देवी, निर्मला, विमला, रेखा, शिखा सहित आसपास के गांवों से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद

श्रीमद्भागवत कथा का यज्ञ के साथ समापन

धामपुर। ग्राम नौरंगाबाद में चल रहे सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा यज्ञ महोत्सव का सोमवार को सामूहिक हवन-विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। यज्ञ के मुख्य यजमान सुरवीर सिंह, डॉक्टर सुजाता, भूमिका, प्रदीप कुमार चौहान, मीरा देवी, मोनिका देवी, रोहन, माधो रानी, श्रीकांत आर्य, ज्योति रानी, ललित आर्य, अरुण कुमार व अनीता देवी आदि रहे। यज्ञ भागवत आचार्य स्वामी कृष्ण मोहन महाराज ने संपादित कराया। कार्यक्रम में अवध शुगर मिल स्योहारा के अधिशासी अध्यक्ष सुखवीर सिंह, मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के पूर्व निदेशक चंद्र मोहन सिंह, विवेक कांत शर्मा, प्रमोद कुमार, देवेंद्र सिंह मौजूद थे। संवाद

सुख दुख में सदैव सहयोग करता है मित्र : राकेश कुमार

बिजनौर। नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में मॉर्निंग मॉर्निंग क्लब की ओर से राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मित्र दिवस मनाया गया। गोष्ठी में राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान में मित्र ही एक ऐसा रिश्ता है, जो आपके सुख दुख में आपका सदैव सहयोग करता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मित्र दिवस वर्ष भर मनना चाहिए। इस दौरान सभी मित्रों ने कुल्हड़ वाली चाय का भी आनंद लिया। इस मौके पर डॉ. प्रमोद कुमार, सेवानिवृत्त सीओ एमपी सिंह, इंजीनियर चरण सिंह, राकेश कुमार रस्तोगी, कमलवीर सिंह, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक आशाराम सिंह, संजीव कुमार बिश्नोई, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दिनेश चौहान, अशोक कुमार यादव, संजीव कुमार शर्मा व देवेश कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद

ओपीडी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय में ओपीडी

ओपीडी का समय सुबह आठ से दोपहर 2:00 बजे तक

मानसिक रोग विभाग- कक्ष नंबर 06
- डॉ. प्रीति चौहान

बाल रोग विभाग- कक्ष नंबर 127
- डॉ. अल्पा राठी

हड्डी रोग विभाग- कक्ष नंबर 130
- डॉ. गौरव सिंह

मेडिसिन विभाग- कक्ष नंबर 125
- डॉ. राजेश कुमार ठाकरे
- डॉ. संकल्प सिरोही
- डॉ. अनु

नेत्र रोग विभाग- कक्ष नंबर 106
- डॉ. रजनीश शर्मा

सर्जरी विभाग- कक्ष नंबर 120
- डॉ. मुकुल दहिया
- डॉ. ध्रुव सिकारा

त्वचा रोग विभाग- कक्ष नंबर 122
- डॉ. नेहा अफजाल

ईएनटी विभाग- कक्ष नंबर 119
- डॉ. अंशु सिंह
- डॉ. प्रशांत
- डॉ. खुशवंत सिंह

टीबी रोग विभाग- कक्ष नंबर 25
- डॉ. तुषार सिंह
- डॉ. अभिषेक चौधरी

फसलों की उन्नतशील खेती के संबंध में दी जानकारी

रेहड़। सोमवार को रेहड़ पंचायत घर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को गन्ना, दलहन एवं तिलहन फसलों के उन्नत खेती के संबंध में जानकारी दी। बताया कि मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। साथ ही मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए रसायनों के संतुलित प्रयोग था तथा हरी और जैविक खाद के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, मृदा संरक्षण एवं संतुलित उर्वरकों के उपयोग के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में नगीना कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. केके सिंह, डॉ. पिंटू कुमार के अतिरिक्त बरन सिंह, नितांत कुमार, इश्तेखार आरिफ आदि मौजूद रहे।

Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited

No. :- RCDF/Pur/F.(RM)/2026/ 11169-207 Dated :- 03/06/2026

NOTICE INVITING E-TENDERS

Single Stage Two Parts unconditional online e-Tenders/e-Bids are invited by Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd., Jaipur for the procurement of "CATTLE FEED RAW MATERIALS ITEMS (DORB, RICE BRAN, DOMC, GWAR KORMA, MAIZE, RICE DDGS, MOLASSES, SOYABEAN MEAL AND BY PASS FAT) (UBN No. CDF2627GLOB00344)" as per bid from eligible bonafide manufacturers/dealers/suppliers/traders as per details given in the respective bid document. The Complete Bidding Documents can be visited and downloaded from our website www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.sppp.rajasthan.gov.in. E-Bids shall be submitted only on http://eproc.rajasthan.gov.in.

Raj.Samwad/C/26/4370 General Manager (Purchase)

पुलिस अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ पौधरोपण करते अपना दल एस के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी। स्रोत : पार्टी

नजीबाबाद में अपना दल (एस) ने चलाया पौधारोपण अभियान

नजीबाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर अपना दल (एस) ने पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया। जिलाध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कप और प्लेट की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचा रही है। मजबूत संगठन से ही युवाओं को जिम्मेदारी और सम्मान मिलेगा। पार्टी हर वर्ग को जोड़कर राष्ट्र निर्माण में जुटी है। इस दौरान महिला विंग, पुलिस अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया साथ ही पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संवाद

सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने किया पौधरोपण

धामपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हंगामा लोक सामाजिक महिला समिति कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को कई प्रजातियों के पौधों को रोपित किया गया। संरक्षक डॉ. जितेंद्र कौशिक बताया कि तुलसी, अपराजिता, नीम व अमरूद आदि के पौधे बड़ा शिव मंदिर परिसर में रोपित किए। संस्थापिका राखी कौशिक ने कहा कि पेड़-पौधे प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। कामना कौशिक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि हमारी निरंतर जिम्मेदारी है। उधर, कन्या महा विद्यालय धौरपा की छात्रा मोनिका रानी ने अपनी दादी व भरोजपाल के साथ दादी अमरावती देवी व दादा नत्थूराम के साथ आम के पौधे को रोपित किया। संवाद

पेड़-पौधों को बचाने में जुटे सोमेंद्र कुमार

हल्दौर देहात। परिषदीय विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं इसके बावजूद हमन अलीपुर हीरा के कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्यालय में लगाए अपने बगीचे की देखभाल में जुटे हैं। गर्मी में पेड़ सूख न जाएं, इसके लिए प्रधानाचार्य सोमेंद्र कुमार तीसरे दिन विद्यालय जाकर पेड़-पौधों को पानी दे रहे हैं। अपने दैनिक कार्यों की तरह सोमेंद्र कुमार पौधों की देखभाल करना नहीं भूलते। कंपोजिट विद्यालय हमन अलीपुर हीरा में प्रधानाध्यापक सोमेंद्र कुमार गर्मी की छुट्टियों के बावजूद विद्यालय पहुंचकर पेड़-पौधों की देखभाल करते हैं। सोमवार को भी सोमेंद्र कुमार विद्यालय पहुंचे और पेड़-पौधों को पानी दिया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि छुट्टी में यदि पेड़ों को समुचित खाद-पानी न दिया जाए तो वे सूख सकते हैं, इसीलिए वह नियमित विद्यालय जाकर पेड़-पौधों का ध्यान रखते हैं। पानी देने के साथ निराई भी करते हैं। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः एआरएमबी, बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cs8204@pnb.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
	ई–नीलामी दिनांक 23.06.2026 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक				
1	शाखाः बुन्दकी, बिजनौर **ऋणीः** श्री बाबू राम पुत्र श्री गोपाल सिंह, **सह-ऋणी/बंधककर्ताः** श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बाबू राम, **गारन्टरः** यश भान शर्मा पुत्र श्री गेंदा शर्मा।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- आरफपुर खजूरी, ओम विहार कॉलोनी, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बाबू राम), कुल माप क्षेत्रफल 55.76 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 7228, पेज नं0 385 से 400, क्र0सं0 8919, दिनांक 11.06.2015, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः फरद आदि का प्लॉट, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः यशपाल शर्मा का प्लॉट।	(ए) 06.07.2023 (बी) रू0 9,87,488.75 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.07.2023 से (सी) सांकेतिक	रू0 7,42,000/- रू0 74,200/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
2	शाखाः जलालाबाद, बिजनौर **ऋणीः** श्री नितिन कुमार पुत्र श्री तुलाराम **(ऋणी)**।	बंधक आवासीय मकान, जो ग्राम अहमदपुर सादात, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला बिजनौर, (उ.प्र.) में स्थित है, क्षेत्रफल 172.50 वर्ग मीटर का 1/2 भाग अर्थात 86.25 वर्ग मीटर। (श्री नितिन कुमार पुत्र श्री तुला राम के नाम), बही संख्या 01, जिल्द संख्या 10740, पृष्ठ संख्या 243 से 256, क्रम संख्या 14308, दिनांक 02.12.2021 में उप-पंजीयक कार्यालय जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज। सीमाएँः- पूर्वः 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अनूप कुमार का खेत, उत्तरः आराजी हरकिशन सिंह, दक्षिणः आराजी तुलाराम सिंह।	(ए) 07.08.2023 (बी) रू0 13,47,627.19 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2023 से (सी) सांकेतिक	रू0 9,09,000/- रू0 90,900/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
3	शाखाः कोतवाली, बिजनौर श्री ऋषिराम पुत्र श्री मुन्ने सिंह **(उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता)**, श्री बाबर पुत्र श्री जमीर **(गारंटर)**।	बंधक आवासीय संपत्ति, खसरा संख्या 144 के भाग में स्थित, ग्राम जलालपुर गूजर, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में स्थित। कुल क्षेत्रफल 106.22 वर्ग मीटर। (श्री ऋषिराम पुत्र श्री मुन्ने सिंह के नाम)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11116, पृष्ठ संख्या 175 से 186, क्रम संख्या 12545, दिनांक 03.09.2022 को उप-पंजीयक कार्यालय- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज। सीमाएँः- पूर्वः घसीटा की आराजी, पश्चिमः 6 फीट चौड़ा रास्ता एवं अनीता की आराजी, उत्तरः कन्हैया का मकान, दक्षिणः अशोक की आराजी।	(ए) 07.08.2023 (बी) रू0 13,47,627.19 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2023 से (सी) सांकेतिक	रू0 4,96,000/- रू0 49,600/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा। 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री अभिनव कुमार, मो0 नं0 98731 00792 से पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वींति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, शशीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **98731 00792.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

हिन्दी पाठ में कोई विसंगति होने पर अग्रेजी अखबार Times of India पाठ को प्रमाणित माना जायेगा।

दिनांकः 08.06.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार